परिशिष्ट क [17/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1370]

देने बुलाया जाए, उसे वही यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो कि न्यायालय से वास्तव में प्राप्त हुआ हो, जहाँ वह उपस्थित हुआ । इस प्रकार भुगतान की गई राशि प्रमाणक संख्या और भुगतान के दिनांक की प्रविष्टि उक्त रजिस्टर के समुचित कालम में की जाएगी ।

83. मस्टर रोल-- जब कार्य दैनिक श्रमिकों द्वारा किया जाए तो मजदूरी राशि का प्ररुप 27 में संधारित उपस्थिति नामावली पर आधारित होगी । जब दैनिक श्रमिकों को दैनिक भुगतान न किया जाए, तब मस्टर रोल वह सूची होगी, जिस पर श्रमिकों के नाम दर्ज होंगे । नामिनल मस्टर रोल किसी निर्माण कार्य में प्रतिदिन लगे श्रमिकों का आरम्भिक अभिलेख होने से इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्रातःकाल श्रमिकों द्वारा काम आरम्भ करने के पूर्व लिखी जाएगी । वह सप्ताह की समाप्ति पर या जिस काल को रखी गई हो, उसकी समाप्ति के तुरंत बाद बंद की जाएगी और उसके पश्चात् यथाशीघ्र श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा । भुगतान नगरपालिका अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा, जो उस दिनांक को श्रमिकों के समूह को किए गए भुगतान के सामने दिनांक सहित आद्याक्षर करेंगे, प्रतिदिन के भुगतान की राशि शब्दों में और अंकों में मस्टर रोल के नीचे लिखी जाएगी । तब संवितरण प्रमाण पत्र पर साक्ष्य के लिए उस अधिकारी द्वारा जिसकी उपस्थिति में भुगतान में हुआ है, हस्ताक्षर किए जाएँगे ।

अध्याय-पाँच

अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन

84. प्रत्येक नगरपालिका अपने भंडार और सहायक सामग्री राज्य के भीतर स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों से क्रय करेंगे, जैसा कि समय-समय पर संशोधित "मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015" के अनुलग्नक ए और बी में "आरक्षित मदों" में उपबंधित किया गया है ।

85. (1) बीस हजार रुपये तक का क्रय किसी निविदा या कोटेशन्स के बिना किया जा सकता है । स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि क्रय उचित बाजार मूल्य, गुणवत्ता एवं आवश्यक विनिर्देश के अनुसार किया गया है :

परन्तु स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया के माध्मय से एक माह में पाँच बार से अधिक क्रय नहीं कर सकेगा ।

(2) नगरपालिका के लिए प्रत्येक अवसर पर रुपये बीस हजार से अधिक किन्तु एक लाख से अनधिक का क्रय कम से कम तीन कोटेशन्स बुलाकर किया जा सकेगा तथा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वह दर जो स्वीकृत की जा रही है, प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं है :

परन्तु स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से एक माह में दो बार से अधिक क्रय नहीं करेगा ।

(4)

सहायक संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट- अ

कार्यालय नगर परिषद घुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)

Fax/Phone No:07689-255675 Email- cmodhuwara@mpurban.gov.in

क्र/177/2025 दिनांक 25/7/2025

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1370 अतारांकित की जानकारी। परिशिष्ट–"अ"

क्र.	वर्ष 2022 से लगाये गये श्रमिको की सूची
1	अजित दुबे
2	हरिराम विश्वकर्मा
3	छोटू कोरी
4	केतन शहंशाह
5	लोकेंद्र सिंह
6	दिनेश सिंह
7	देवी सिंह
8	भूपेंद्र सिंह
9	अमित राय
10	सुनील अहिरवार
11	पुष्पेंद्र सिंह
12	अवधेश कुशवाहा
13	लाखन सिंह
14	मोहित सिंह
15	आश्वेंद्र सिंह
16	साहिल खान
17	दिनेश कुमार अहिरवार
18	संतोष सेन
19	अभिषेक दुबे

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद घुवारा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

Joint Director
Urban Administration & Development
Sagar Division, SAGAR

सहायक संचालक
संचालनालय, नगरीय प्रशासन
एवं विकास भोपाल (म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग